न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 99/2015 **दायर दिनांकः 21.07.2015**

उनवान

1. श्रीमति सीमा शर्मा आयु 37 साल बेवा श्री रघुनन्दन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छेलाबैल तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. वैभव आयु 15 साल पुत्र श्री रघुनन्दन नाबालिग जरियेवली माता सीमा पत्नी रघुनन्दन
3. हर्षित आयु 13 साल पुत्र श्री रघुनन्दन नाबालिग जरियेवली माता सीमा पत्नी रघुनन्दन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छेलाबैल तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. रामकरण पुत्र श्री मदन लाल जाति जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छेलाबैल तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. हेमलता बाई आयु 50 साल बेवा श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छेलाबैल तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. चेतन उर्फ सोनू आयु 30 साल पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छेलाबैल तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
4. कपिल आयु 27 साल पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छेलाबैल तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
5. हितेष आयु 22 साल पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छेलाबैल तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
6. गिरजा बाई आयु 32 साल पुत्री श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छेलाबैल हाल निवासी किशोरपुरा तहसील सुलतानपुर जिला कोटा राजस्थान
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 188 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बृजराजसिंह
प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री नरेन्द्र सिंह चौहान

निर्णय **दिनांक 10/11/2022**

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53, 88, 89, 90, 188 आर0 टी0 एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि वादिया क्रमांक 1 स्वयं व वादी क्रम 1 व 2 नाबालिग होने से उनकी ओर से जरियेवली माता वादिया क्रमांक 1 श्रीमति सीमा शर्मा बेवा श्री रघुनन्दन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैः— कि ग्राम खुरी तहसील अटरू जिला बारां में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 के दादा/ससुर व प्रतिवादी क्रमांक 6 के पिता प्रतिवादी क्रमांक 1 रामकरण पुत्र श्री मदन लाल के खाते में निम्न आराजियात स्थित हैः— आराजी वर्तमान खाता संख्या 288 की पुराना 267 ख0नं0 691 रकबा 1.28 है0 किस्म माल प्रथम लगानी 15.36 रूपया, ख0 नं0 776 रकबा 0.03 है0 किस्म माल प्रथम लगानी 0.36 रूपया, ख0 नं0 777 रकबा 4.51 है0 किस्म माल प्रथम लगानी 54.12 रूपया, ख0 नं0 1074 रकबा 0.05 है0 किस्म बरानी उत्तम लगानी 0.80 रूपया, ख0नं0 1083 रकबा 0.03 है0 किस्म बरानी उत्तम लगानी 0.48 रूपया, ख0नं0 1112 रकबा 0.15 है0 किस्म माल द्वितीय लगानी 1.50 रूपया ख0 नं0 1169 रकबा 1.35 है0, किस्म माल द्वितीय लगानी 13.50 रूपया, ख0नं0 1756/778 रकबा 0.20 है0 किस्म माल प्रथम लगानी 2.40 रूपया कुल 8 किता रकबा 7.60 है0 स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम 1 के नाम दर्ज है उक्त वर्णित आराजीयात पुश्तेनी व पैत्रिक आराजीयात है जिसमें वादीगण का पेदाईशी हक व हिस्सा निहित है, जमाबन्दी की नकल वाद पत्र के साथ संलग्न है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण क्रमांक 1 ता 6 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः—

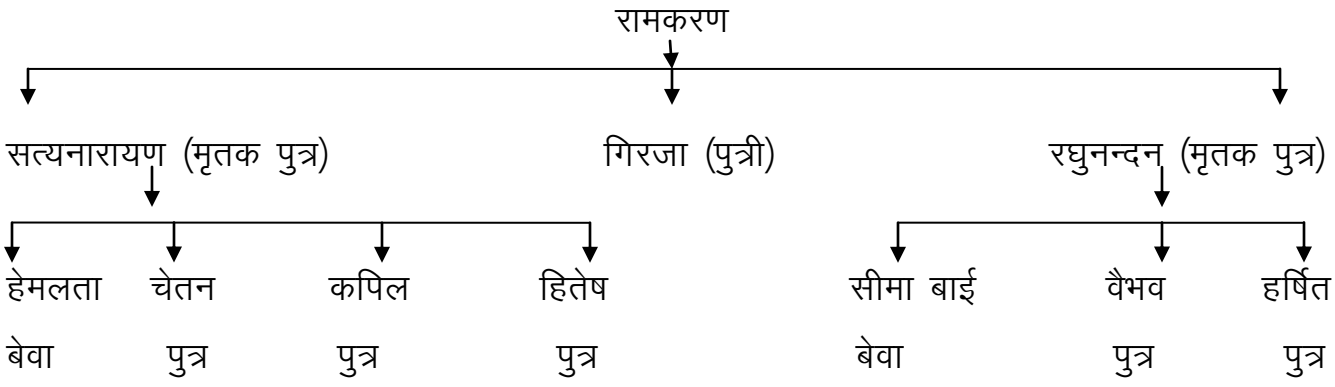

प्रतिवादी क्रमांक 1 रामकरण वादीगण क्रमांक 2 ता 3 व प्रतिवादी क्रमांक 3 ता 5 के दादा व वादीया क्रमांक 1 व प्रविादीया क्रमांक 2 के ससुर व प्रतिवादी क्रमांक 6 के पिता है। प्रतिवादी नं0 1 रामकरण के वादीगण क्रमांक 1 ता 3 व प्रतिवादीगण क्रमांक 2 ता 6 वारिसान उत्तराधिकारीगण है। इसलिये उक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण क्रमांक 1 ता 3 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी 2 ता 5 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीया क्रमांक 6 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी क्रमांक 1 पिता रामकरण का 1/4 हिस्सा हिन्दू कानून के अनुसार समान हिस्सा है। वादी क्रमांक 2 व 3 की परवरिश व देखभाल माता सीमा शर्मा ही करती है। एवं काश्तकारी की व्यवस्था करती है। प्रतिवादी क्रम 1 के नाम खाता होने से आराजियात के भू–सुधार में अनावश्यक परेशानी होती है। आराजियात का अंटवारा न होने से हिस्सा निश्चित नही है इस कारण उसमें भू–सुधार नहीं किया जा सकता। आराजीात के सही उपयोग एवं सही काश्त व्यवस्था के लिए अपने हिस्से का भू–सुधार किया जाना, उसमें खाद बीज, सिंचाई आदि की व्यवस्था किया जाना तथा आधुनिक कृषि किया जाना आवश्यक है। साथ ही प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम खाता रहने से यह आशंका बनी रहती है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 ता 6 प्रतिवादी क्रमांक 1 से मिलकर बिना विभाजन के आराजीयात को रहन बेचान करके वादीगण को परेशानी में डाल सकते है। ऐसी स्थिति में खाता प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम रखा जाना सम्भव नहीं है। तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 ता 6 उक्त आराजयात राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम दर्ज होने से अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रतिवादीगण क्रमांक 2 ता 6 उकत वर्णित आराजियात को रहन बेचान या अन्य प्रकार से मुन्तकिल कर वादीगण के हक हकूकों में नुकसान पहुंचा सकते हें इस बाबत दिनांक 01.07.2015 को खुली चुनौती दी गई है तथा धमकी दी गई है कि प्रतिवादीगण क्रमांक 2 ता 6 प्रतिवादी क्रमांक 1 से उनके खातेदारी की उक्त वर्णित आराजी को रहन बेचान करवा कर रहेगें ताकि वादीगण को कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हो ऐसी स्थिति में वादीगण को अपने कानूनी हकूकों से वंचित हो जाने की पूरी पूरी आशंका उत्पन्न हो गई है। साथ ही हिस्से आराजियात की काश्त व उपयोग में भी बाधा पहुंचेगी अतः वादीगण अपने दादा/ससुर श्री रामकरण के खातेदारी की आराजी में अपने हिस्से 1/4 की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर अपना हिस्सा अलग से निश्चित कराकर उसी अनुसार बंटवारा कराने व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का अधिकारी एवं नालिशी है। वादीगण के दादा/ससुर/प्रतिवादी क्रमांक 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी वर्तमान खाता संख्या 288 की पुराना 267 ख0नं0 691 रकबा 1.28 है0 किस्म

माल प्रथम लगानी 15.36 रूपया, ख0 नं0 776 रकबा 0.03 है0 किस्म माल प्रथम लगानी 0.36 रूपया, ख0 नं0 777 रकबा 4.51 है0 किस्म माल प्रथम लगानी 54.12 रूपया, ख0 नं0 1074 रकबा 0.05 है0 किस्म बरानी उत्तम लगानी 0.80 रूपया, ख0नं0 1083 रकबा 0.03 है0 किस्म बरानी उत्तम लगानी 0.48 रूपया, ख0नं0 1112 रकबा 0.15 है0 किस्म माल द्वितीय लगानी 1.50 रूपया ख0 नं0 1169 रकबा 1.35 है0, किस्म माल द्वितीय लगानी 13.50 रूपया, ख0नं0 1756/778 रकबा 0.20 है0 किस्म माल प्रथम लगानी 2.40 रूपया कुल 8 किता रकबा 7.60 है0 वाके ग्राम खुरी तहसील अटरू में प्रतिवादी क्रमांक 1 के वादीगण पोत्र/पुत्रवधु होने के नाते प्रतिवादी क्रमांक 1 के खातेदारी की आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी क्रमांक 1 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी क्रमांक 2 ता 5 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीया क्रमांक 6 का 1/4 हिस्सा है इसी प्रकार खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर अपने हक व हिस्से का वादीगण बंटवारा करा पा सकने व उसका प्रथक से अंकन कराने तथा स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का अधिकारी व नोलिशी है। वादीगण ने दिनांक 1.7.2015 को प्रतिवादीगण क्रमांक 1 ता 6 से आपसी सहमति से आराजियात का बंटवारा करने व वादीगण का हिस्सा अलग करने को कहा तो वे इन्कार हो गये तथा धमकी दी कि वे वादीगण को प्रतिवादी क्रमांक 1 के खातेदारी की आराजी हिस्सा नहीं देगें/काश्त नहीं करने देगें उसे प्रतिवादी क्रमांक 2 ता 6 प्रतिवादी क्रमांक 1 से रहन बेचान कर मुतकिल करवा देंगें उसमें से वादीगणको कोई भी हिस्सा प्राप्त नहीं करने देगे अतः वाद कारण दिनांक 1.7.2015 को अंतिम बार उत्पन्न हुआ। प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता द्वारा राज0 सरकार को धारा 80 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत वैधानिक नोटिस दिनांक 08.07.2015 को दिला दिया है जो उन्हें प्राप्त हो गया है। चूंकि अप्रार्थीगण तत्काल आराजियात को रहन बेचान करने पर आमादा है अतः धारा 80(2) जा0दी0 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत है। वाद का मूल्यांकन लगान का 50 गुना निश्चित किया जाकर निर्धारित न्यायशुल्क पर वाद प्रस्तुत है। वाद अवधि मध्य व न्यायालय के न्यायक्षैत्र का है। विवादित आराजीयात न्यायालय के न्यायक्षेत्र में स्थित है। वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय क्षेत्रान्तर्गत होनी है अतः माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। राज0 सरकार को सर्वोच्च भूस्वामी होने के नाते जर्ये तहसीलदार बारां पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी वर्तमान खाता संख्या 288 की पुराना 267 ख0नं0 691 रकबा 1.28 है0 किस्म माल प्रथम लगानी 15.36 रूपया, ख0 नं0 776 रकबा 0.03

है0 किस्म माल प्रथम लगानी 0.36 रूपया, ख0 नं0 777 रकबा 4.51 है0 किस्म माल प्रथम लगानी 54.12 रूपया, ख0 नं0 1074 रकबा 0.05 है0 किस्म बरानी उत्तम लगानी 0.80 रूपया, ख0नं0 1083 रकबा 0.03 है0 किस्म बरानी उत्तम लगानी 0.48 रूपया, ख0नं0 1112 रकबा 0.15 है0 किस्म माल द्वितीय लगानी 1.50 रूपया ख0 नं0 1169 रकबा 1.35 है0, किस्म माल द्वितीय लगानी 13.50 रूपया, ख0नं0 1756/778 रकबा 0.20 है0 किस्म माल प्रथम लगानी 2.40 रूपया कुल 8 किता रकबा 7.60 है0 वाके ग्राम खुरी तहसील अटरू में प्रतिवादी क्रमांक 1 के खातेदारी की आराजी में वादीगण पोत्र/पुत्रवधु होने के नाते प्रतिवादी क्रमांक 1 के खातेदारी की आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी क्रमांक 1 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी क्रमांक 2 ता 5 का 1/4 प्रतिवादीया क्रमांक 6 का 1/4, प्रतिवादी क्रमांक 1 का हिस्सा 1/4 घोषित किया जाकर इसी प्रकार आराजीयात का बंटवारा किया जावे। प्रार्थी का हिस्सा अलग से निश्चित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अलग से इंद्राज किया जावे तथा वादी के हक में खिलाफ प्रतिवादी आदेशात्मक एवं निषेधात्मक इस आशय की पारित की जावे कि प्रतिवादी बिना बंटवारे के व बिना हिस्सा तय किये आराजीयात का रहन बेचान या अन्य प्रकार से उसे मुंतकिल न करे ना वादीगण के वैधानिक हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना तो स्वयं करे ना अन्य से करावे तथा वादीगण को विष्णु पिता/प्रतिवादी के खाते में 1/4 हिस्सा आराजी में वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

3. साक्ष्यवादी के तहत पी0डब्ल्यू 1 सीमा शर्मा बेवा रघुनन्दन जाति ब्राहमण निवासी छैलाबल का शपथ पत्र पेश किये गये। साक्ष्यवादी ने अपने शपथ पत्र में निवेदन किया कि ग्राम खुरी की खाता संख्या 288 की पुराना 267 ख0नं0 691 रकबा 1.28 है0, ख0 नं0 776 रकबा 0.03 है0, ख0 नं0 777 रकबा 4.51 है0, ख0नं0 1074 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 1083 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 1112 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 1169 रकबा 1.35 है0, ख0नं0 1756/778 रकबा 0.20 है0 कुल 8 किता रकबा 7.60 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण का ससुर/दादा होने के कारण उक्त आराजी में वादीगण का हक व अधिकार निहित है। मुझे मेरे पति व बच्चों का हिस्सा दिलाया जावे।

4. अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी। अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि ग्राम खुरी की विवादित आराजी कुल किता 8 कुल रकबा 7.60 है0 प्रतिवादी क्रम 1 रामकरण पुत्र मदनलाल के खाते दर्ज है। वादी क्रम 2 व 3 प्रतिवादी क्रम 1 के पौत्र है और विवादित आराजी इनकी पैत्रिक संपत्ति है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 20 के अनुसार इनका जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे कथन किया गया कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 ने कोई जवाब दावा पेश नहीं किया है। प्रतिवादी क्रम 1 ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी0 दिनांक 12.10.2017 में कहीं भी इस तथ्य का विरोध नहीं किया है कि विवादित आराजी वादी क्रम 2 व 3 की पैतृक संपत्ति नहीं है। अर्थात प्रतिवादी क्रम 1 ने अप्रत्यक्ष रूप से इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि विवादित आराजी वादी क्रम 2 व 3 पैतृक संपत्ति है। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि वादिया क्रम 1 वादी क्रम 2 व 3 की माता है और वाद दायर करते समय वादी क्रम 2 व 3 वादिया के साथ ही रहते थे। अतः विवादित आराजी में वादी क्रम 2 व 3 को उनके हक व अधिकार की आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

5. अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि वादिया क्रम 1 अपने पति यानी प्रतिवादी क्रम 1 के पुत्र रघुनन्दन की हत्या के आरोप में वर्ष 2008 से आजीवन कारावास की सजा काट रही है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के अनुसार वादीया क्रम 1 विवादित आराजी में मृतक रघुनन्दन के हिस्से में कोई हक व अधिकार नहीं रखती है। वादिया क्रम 1 के हक तक वाद पत्र पूर्व में दिनांक 26.09.2019 को इस न्यायालय द्वारा अबेट किया जा चुका है। वादी क्रम 2 वैभव वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 के साथ रहता है और प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा ही उसकी पढाई लिखाई व देखभाल की जा रही है। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा आगे कथन किया गया कि वादी क्रम 2 व 3 वर्तमान में बालिग हो चुके है। अतः जर्ये वली माता सीमा शर्मा खातेदारी नहीं दी जा सकती है। वादिया क्रम 1 हत्या के आरोप में वर्ष 2008 से जैल में होने के कारण वादी क्रम 2 व 3 की संरक्षक नहीं हो सकती है। अतः वादी क्रम 2 व 3 के हिस्से तक भी वाद को खारिज फरमाया जावे। विवादित आराजी का कुछ हिस्सा परवन वृहद सिंचाई परियोजना में अधिग्रहित किया जा चुका है और इसलिए जल संसाधन विभाग बारां को भी प्रकरण में पक्षकार

बनाया जाना चाहिए था। लेकिन वादीगण द्वारा उन्हे पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद नोन जोइंडर ऑफ पार्टी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6. अभिभाषक वादीगण व अभिभाषक प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। बहस के प्रकाश में उपलब्ध पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम खुरी की वर्तमान जमाबंदी अनुसार विवादित आराजी कुल किता 8 कुल रकबा 7.60 है0 प्रतिवादी क्रम 1 रामकरण के खाते दर्ज है। विवादित आराजी रामकरण के खाते कैसे दर्ज हुई –के संबंध में वादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया हैं। विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को विरासत में प्राप्त हुई थी या स्वयं द्वारा क्रय की गई थी या दान या हकत्याग आदि से प्राप्त हुई थी– के संबंध में कोई भी दस्तावेज वादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है, केवल वाद पत्र के मद क्रम 1 व 3 में पैतृक संपत्ति होने का केवल अंकन किया गया है। विवादित आराजी वादी क्रम 2 व 3 की पैतृक संपत्ति है –को साबित करने का भार वादीगण पर था लेकिन वादीगण द्वारा इस संबंध में न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है और न ही साक्ष्य में गवाह पेश किये गये है। वादीगण ग्राम खुरी की विवादित आराजी को पैतृक संपत्ति सिद्ध करने के भार को साबित नहीं कर पाये है।

प्रतिवादीगण द्वारा पेश उपाधीक्षक केन्द्रीय कारागृह कोटा के सरेण्डर प्रमाण पत्र संख्या 7126 दिनांक 10.07.2019 के अनुसार वादीया क्रम 1 सीमा शर्मा अपने पति रघुनन्दन की हत्या के आरोप में प्रकरण संख्या 27/2007 में माननीय सेशन न्यायालय (फास्ट ट्रेक) बारां के आदेश से वर्ष 2008 से कारावास में है। **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25** के अनुसार हत्या के सजा याप्ता वादिया क्रम 1 विवादित आराजी में मृतक पति रघुनन्दन के हिस्से में कोई हक व अधिकार नहीं रखती है और इसलिए वादिया क्रम 1 के हक तक इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.09.2019 से वाद को अबेट किया जा चुका है। धारा 25 के प्रावधान निम्नानुसार है–

"25. Murderer disqualified.—A person who commits murder or abets the commission of murder shall be disqualified from inheriting the property of the person murdered, or any other property in furtherance of the succession to which he or she committed or abetted the commission of the murder."

वाद पत्र के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 21.07.2015 को वाद दायर करते समय वादी क्रम 2 की आयु करीब 15 वर्ष एवं वादी क्रम 3 की आयु करीब 13 वर्ष थी। जो

वर्तमान में क्रमशः 22 वर्ष व 20 वर्ष होनी चाहिए। अभिभाषक वादीगण व अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में कोई आयु संबंधी प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है। आयु प्रमाण पत्र के अभाव में यह निर्धारित करना मुश्किल है कि वादी क्रम 2 व 3 वर्तमान में वयस्क हो चुके है। वादी क्रम 2 व 3 कभी न्यायालय में भी उपस्थित नहीं हुऐ है। यहां हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार है–

"Sec- 20 Right of child in womb.—A child who was in the womb at the time of the death of an intestate and who is subsequently born alive shall have the same right to inherit to the intestate as if he or she had been born before the death of the intestate, and the inheritance shall be deemed to vest in such a case with effect from the date of the death of the intestate".

यद्यपि **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 20** के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का उसकी पैतृक संपत्ति में जन्म से हक व अधिकार निहित होता है तथापि उक्त प्रकरण में वादिया क्रम 1 के अनेक वर्षो से कारावास में होने से और वर्तमान में वादी क्रम 2 व 3 के प्रथम दृष्टया बालिग होने की संभावना के आधार पर वाद को जर्ये वली माता सीमा शर्मा खातेदारी अधिकार निर्धारित किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

अभिभाषक प्रतिवादीगण के कथन एवं उपखण्ड कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर ग्राम खुरी की विवादित आराजी में से करीब 9 बीघा आराजी परवन वृहद सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा अधिग्रहण कर खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। अतः विवादित आराजी में से अधिग्रहित हिस्से पर जल संसाधन विभाग परवन परियोजना बारां के हक व अधिकार भी निहित हो चुके है और इसलिए इन्हे प्रकरण में आवश्यक पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। लेकिन वादीगण द्वारा जल संसाधन विभाग परवन परियोजना को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने से नोन जोइण्डर ऑफ पार्टी के कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम खुरी की विवादित आराजी कुल किता 8 कुल रकबा 7.60 है0 को वादीगण द्वारा पैतृक संपत्ति साबित नहीं किये जाने एवं नोन जोइण्डर आफ पार्टी होने से वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम खुरी की विवादित आराजी खाता संख्या 288 की कुल किता 8 कुल रकबा 7.60 है0 भूमि के सम्बन्ध में पेश वादीगण का वाद **खारिज** किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **10.11.2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 99/2015 **दायर दिनांकः 21.07.2015**

उनवान

1. श्रीमति सीमा शर्मा आयु 37 साल बेवा श्री रघुनन्दन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छेलाबैल तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. वैभव आयु 15 साल पुत्र श्री रघुनन्दन नाबालिग जरियेवली माता सीमा पत्नी रघुनन्दन
3. हर्षित आयु 13 साल पुत्र श्री रघुनन्दन नाबालिग जरियेवली माता सीमा पत्नी रघुनन्दन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छेलाबैल तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. रामकरण पुत्र श्री मदन लाल जाति जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छेलाबैल तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।
2. हेमलता बाई आयु 50 साल बेवा श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छेलाबैल तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. चेतन उर्फ सोनू आयु 30 साल पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छेलाबैल तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
4. कपिल आयु 27 साल पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छेलाबैल तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
5. हितेष आयु 22 साल पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छेलाबैल तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
6. गिरजा बाई आयु 32 साल पुत्री श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छेलाबैल हाल निवासी किशोरपुरा तहसील सुलतानपुर जिला कोटा राजस्थान
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 188 आर टी एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री बृजराजसिंह

प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री नरेन्द्र सिंह चौहान

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम खुरी की विवादित आराजी खाता संख्या 288 की कुल किता 8 कुल रकबा 7.60 है0 भूमि के सम्बन्ध में पेश वादीगण का वाद **खारिज** किया जाता है।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक **10.11.2022** को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)